

सूचना

आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या:-01/2019-20, विभाग संख्या:-एस-8/02 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के राजकीय मेडिकल कालेजों में सहायक आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी के 37 पदों (20 पद अनारक्षित, 10 पद उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 07 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित) पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 16 तथा 17 दिसम्बर, 2021 को साक्षात्कार सम्पन्न किया गया।

2. साक्षात्कारोपरान्त मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत् पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया गया है :-

मुख्य सूची

क्रमांक	रजि0क्रमांक	नाम	अभ्युक्ति
01	53200036126	शिखा अग्रवाल	अना0 / महिला / औप0
02	53200002013	शर्मा विपिन जयश्री	अना0 / औप0
03	53200038294	अंजलि दीक्षित	अना0 / महिला
04	53200015257	अभिजित भागवत मोहिते	अना0 / औप0
05	53200021142	नेहा पँवार	अना0 / महिला / औप0
06	53200011613	गिरीश कुमार सिंह	अना0 / एस0सी0
07	53200017769	प्राची बंसल	अना0 / महिला / औप0
08	53200038692	सुधांशु शेखर	अना0 / औप0
09	53200005968	अंकिता वर्मा	अना0 / ओ0बी0सी0 / महिला / औप0
10	53200032731	आस्था गुप्ता	अना0 / महिला / औप0
11	53200019341	अमन ओहरी	अना0 / औप0
12	53200039132	जितेन्द्र सिंह चाहर	अना0 / ओ0बी0सी0
13	53200002439	सागर राकेश त्यागी	अना0
14	53200031787	सुरभि गुप्ता	अना0 / महिला / औप0
15	53200011941	ज्ञानेन्द्र कुमार गौतम	अना0 / एस0सी0
16	53200042181	राजीव रंजन प्रसाद	अना0 / औप0
17	53200035686	सुहास कुमार मल्ल	अना0
18	53200025476	सुप्रिया	अना0 / ओ0बी0सी0 / महिला / औप0
19	53200010739	सीतू	अना0 / ओ0बी0सी0 / महिला / औप0
20	53200017006	अंकित जैन	अना0 / औप0
21	53200019873	ऋतुराज सिंह	ओ0बी0सी0
22	53200012898	अशोक सिंह	ओ0बी0सी0 / औप0
23	53200040739	अनीता सिंह	ओ0बी0सी0 / महिला / औप0
24	53200032467	सन्नी दियोल गौतम	एस0सी0 / औप0
25	53200038285	ज्ञानेन्द्र प्रकाश	एस0सी0
26	53200024689	प्रतीक सिंह	एस0सी0
27	53200042437	देवेन्द्र प्रताप राठौर	ओ0बी0सी0 / औप0
28	53200005205	राणा प्रताप	एस0सी0 / औप0
29	53200040651	संतोष कुमार	एस0सी0 / औप0
30	53200011127	माहताब आलम अंसारी	ओ0बी0सी0 / औप0
31	53200015849	विजयन्त कुमार	ओ0बी0सी0 / औप0

3-उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग की 04 तथा अनुसूचित जाति श्रेणी की 02 रिक्तियों के सापेक्ष इन श्रेणियों के अन्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अग्रेनीत करते हुए नियमानुसार पुनर्विज्ञापित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

4- उक्त परिणाम में जिन अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से हुआ है, उनका चयन आयोग द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने तक औपबंधिक रहेगा।

(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।